जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाषः +91-612-250 4980, फैक्सः +91-612-250 4960, वेबसाइटः www.brlps.in

Ref. No: BRLPS/Proj/624/14/Vol-III/3198 Date: 14.09.22

कार्यालय आदेश

श्री शैलेश कुमार ने जीविका में प्रखंड परियोजना प्रबंधक के पद पर 15-अप्रैल-2021 को योगदान दिया। सैलरी फिटमेंट प्रक्रिया के दौरान उनके द्वारा प्रेषित अनुभव प्रमाण पत्रों में विसंगति पाई गई, तद्नुसार प्रखंड परियोजना प्रबंधक के नियुक्ति हेतु उनके द्वारा जीविका में प्रस्तुत किये गए कागजातों की जांच एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा की गई। समिति ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 01-अगस्त-2022 को समर्पित किया। प्रतिवेदन के अनुसार उनका अनुभव प्रमाण पत्र सही नहीं पाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है

मायाराम सोशल एवं वेलफेयर सोसाइटी, खगड़िया

1. मायाराम परिवार के सदस्य, जो की अनुभव प्रमाण पत्र पर दिए गए पता(क्षेत्र) में अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के समय से पहले कई सालों से रह रहे हैं, उन्हें इस सोसाईटी के उक्त क्षेत्र में कभी भी होने की कोई जानकारी नहीं है एवं मायाराम परिवार को ऐसे किसी भी सोसाइटी के गठन की जानकारी भी नहीं है।
2. स्थानीय निवासियों ने भी यह बताया कि ऐसी कोई भी सोसाइटी दिए गए क्षेत्र में कभी भी मौजूद नहीं थी (विडियो उपलब्ध)।

MBIT

3. समिति ने पाया कि ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि श्री चन्दन कुमार MBIT में रीजनल ऑपरेशन मेनेजर के रूप में कार्यरत थे एवं किस अधिकार से उन्होंने श्री शैलेश कुमार को प्रमाण पत्र जारी किया।
4. श्री चन्दन कुमार ने Innotechaqua जो कि एक अलग संस्था है के CEO रहते हुए, किस अधिकार से शैलेश कुमार को उनके द्वारा जारी गए अनुभव प्रमाण पत्र को फिर से सत्यापित किया, इसका न साक्ष्य मौजूद है और न ही उन्होंने ऐसा दावा किया है।
5. Innotechaqua का एक कर्मी जिसने MBIT, फोर्बेसगंज मे भी अकाउंटेंट के रूप में काम किया था और अभी Innotechaqua के साथ कार्य कर रहा है, उसे भी शैलेश कुमार का MBIT के साथ जुड़े होने की कोई जानकारी नहीं है। अतः समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है की श्री शैलेश कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र सही प्रतीत नहीं होता है ।

तदनुसार, इस सबंध में श्री शैलेश कुमार को एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 03 अगस्त 2022 को जारी किया गया ताकि वे अपना पक्ष साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सके।

उन्होंने अपने ईमेल दिनांक 10th अगस्त 2022 के जरिये उक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोपों का जबाब प्रेषित किया जिसका सारांश एवं विश्लेषण निम्न प्रकार है -

1. बगहा -2 के बीपीऍम रहते वे सितंबर 2021 से मार्च -2022 तक बगहा -1 प्रखण्ड का बीपीएम के अतिरिक्त प्रभार मे भी रहे।उस समय उन्होंने दोनों प्रखंडों के 49 पंचायतों के कार्यों का निर्वहन किया। उन्होंने अब तक परियोजना द्वारा प्रदत्त सभी कार्यों का निष्पादन सफलतापूर्वक किया है एवं उनका कार्यकाल संतोषप्रद रहा है। उनके अनुभव प्रमाण पत्र कि जांच पूर्व में भी कई बार की जा चुकी है, सर्वप्रथम उन्हें दिसंबर 2020 में बीपीएम पद पे योगदान देने हेतु डीपीसीयू गोपालगंज बुलाया गया था और उस समय जिन कागजात की मांग की गई थी वे वह सभी कागजात लेकर उपस्थित हुए थे किन्तु, वहाँ वैसे कागजात की मांग की गई जो राज्य कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूची में दिया ही नहीं गया था और जिसके कारण उनकी joining नहीं ली गई और उन्हें कहा गया कि, उन्हें होल्ड पे रखा गया है आगे जो निर्णय होगा उसकी सूचना उन्हें दे दी जाएगी साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में कई तथ्य रखे हैं जो कि प्रासंगिक नहीं हैं।

विश्लेषण

डीपीएम् गोपालगंज के नोट दिनांक 08.12.2020 से यह स्पष्ट है कि योगदान कि प्रक्रिया के दौरान श्री शैलेश कुमार जीविका के वेबसाइट पे सम्बंधित पद पर योगदान के लिए निर्धारित आवश्यक कागजात जैसे कि पूर्व संस्था से स्वीकृत त्याग पत्र, उक्त संस्था से अंतिम तीन महीने का सैलरी स्लिप उपलब्ध करवाने में असफल रहे । इसलिए उनके योगदान को होल्ड पर रखा गया। इस प्रकार श्री शैलेश कुमार ने मामले में जान बुझ कर भ्रमित करने कि कोशिश की है ।

जांच समिति के द्वारा दिये गए रिपोर्ट के संबंध में उनका कहना है कि-

2. **मायाराम सोशल एवं वेलफेयर सोसाइटी –**

मायाराम सोशल एवं वेलफेयर सोसाइटी के बारे में कहना है कि, यह संस्था किसी मायाराम परिवार के द्वारा गठित नहीं कि गई थी,इस संस्था के अध्यक्ष-शोभाकांत जी थे जिन्होंने इसका गठन किया था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है,इसके सचिव – राजीव रंजन एवं कोषाध्यक्ष दिनेश गांधी थे।"मायाराम सोशल एवं वेलफेयर सोसाइटी,खगड़िया" संस्था का नाम "मायाराम" होना महज एक संयोग है।अतःइसे मायाराम परिवारसे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उस परिवार से जब संस्था का कोई संबंध नहीं है तो जाहीर है कि, वो इस संस्था के बारे में कुछ पता नहीं होगा।

विश्लेषण

यह महज संयोग नहीं हो सकता कि समिति के प्रतिवेदन अनुसार जिस पते पर यह सोसाइटी बनी है उसी पते पर उस नाम का परिवार भी रह रहा हो साथ हीं श्री शैलेश कुमार ने कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं दिया है जिससे यह सुनिश्चित हो कि उक्त' सोसाइटी का मायाराम परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री शैलेश कुमार ने मायाराम सोसाइटी के संस्थापक, सचिव एवं कोसाध्यक्ष का वर्त्तमान पता बताने में भी असमर्थ रहे ।

3. उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र से यह प्रतीत होता है कि यह संस्था अस्तित्व में ही नहीं है,मुझे ज्ञात नहीं कि जांच कमिटी ने खगड़िया जाकर किस पते पर अवलोकन किया है लेकिन, "मायाराम सोशल एवं वेलफेयर सोसाइटी,खगड़िया" बिहार सरकार के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका **निबंधन संख्या -168/2003-2004** है जिसकी पुष्टि निबंधन कार्यालय से की जा सकती है एवं इसकी सूची अभी भी ऑनलाइन giveindia.org/all-ngos/bihar/ नामक वेबसाईट पर बिहार के NGO की सूची में उपलब्ध है जिसे देखा जा सकता है और इसमें वही पता अंकित है जो मेरे द्वारा दिये गए अनुभव प्रमाण पत्र में है, मेरे इस पत्र के साथ ऑनलाइन बिहार के NGO की उपलब्ध सूची की कॉपी एवं लिंक संलग्न किया जा रहा है। अतः यह एक फर्जी संस्था नहीं है ना ही मेरे द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी हैं। 2009 के बाद से मेरा संपर्क इस संस्था से नहीं रहा है इसलिए इसकी वर्तमान की स्थिति मुझे ज्ञात नहीं है ।

विश्लेषण

उपरोक्त तथ्यों की जाँच की गयी तो पाया गया कि श्री शैलेश कुमार द्वारा उनकी नियुक्ति के समय मायाराम सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी से सम्बंधित जो अनुभव प्रमाण पत्र जीविका को उपलब्ध कराया गया है उसपे पता मायाराम भवन, मालगोदाम रोड, नजदीक बिहार विद्यालय, वार्ड नंबर 1, जिला / पोस्ट – खगड़िया 851204 जबकि श्री शैलेश कुमार द्वारा उपर बताये गए वेबसाइट पर उक्त सोसाइटी का पता निम्न प्रकार है:-

Mayaram Social and Welfare Society, Mal Godam Road, Near Vidya Vihar Vidyalaya, Ward No.- 2, Khagaria (Bihar)

श्री शैलेश कुमार के द्वारा प्रस्तुत एक ही संस्था का दो पता दिया गया है, अतः दोनों पता भिन्न है।

4. **MBIT**

श्री शैलेश कुमार ने बताया है कि जब वे पटना स्थित MBIT के कार्यालय से जुड़े उस समय MBIT का शैक्षणिक भवन का निर्माण बिल्कुल प्रारम्भिक चरण में था एवं उसका शिलान्यास भी नहीं हुआ था । फारबिसगंज तक कामों की सहूलियत विशेषकर निर्माण कार्य की सुगमता के लिए पटना के 102, विकास कुंज, किदवईपुरी में एक कार्यालय लिया गया जिसमें चन्दन कुमार रिजनल ऑपरेशन मैनेजर थे उनके अधीनस्त मैं और 2-3 स्टाफ कार्यरत थे।

MBIT के श्री चन्दन कुमार, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के द्वारा 2014 में उनका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था तब वह रिजनल ऑपरेशन मैनेजर थे। MBIT एवं Innotechaqua दोनों ऑफिस का पता एक ही है। MBIT एवं Innotechaqua के वेबसाईट पर mbit.in एवं innotechaqua.com पर जाकर इसकी पुष्टि की जा सकती है । श्री शैलेश कुमार ने यह भी बताया है कि जब तक वे MBIT के पटना कार्यालय में काम कर रहे थे तब-तक MBIT का भवन पूरी तरह तैयार होकर नहीं बना था, उनके वहाँ से जाने के बाद शैक्षणिक सत्र वर्ष 2014 से प्रारम्भ हुआ। पत्र में जिस accountant की चर्चा की गई है वह उनके MBIT से जाने के बाद फारबिसगंज में join किया था तो वह उन्हें कैसे पहचान सकता है, शायद जांच समिति द्वारा उसके joining का वर्ष नहीं पूछा गया हो। साथ हीं उन्होंने यह बताया है कि उनके द्वारा दिये गए सभी प्रमाण पत्र सत्य है वो संस्थाएं अस्तित्व में रही है जहां उन्होंने काम किया है उनके पते भी सही हैं जो उनके प्रमाण पत्र पर है ।

विश्लेषण

वेबसाइट पर संस्था कि जानकारी एवं पता उपलब्ध होने से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि श्री शैलेश कुमार ने उक्त संस्था में काम किया है जिसके लिए वे आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं न हीं नियुक्ति के लिए उपलब्ध कराये गए अपने अनुभव प्रमाणपत्र के जारीकर्ता संस्था जहाँ उन्होनें पूर्व में काम करने का दावा किया है, उनके साथ अपने कार्यकाल के दौरान किये गए किसी भी तरह के संचार को वो प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में जिला परियोजना प्रबंधक गोपालगंज ने

अपने नोट दिनांक 08.12.2020 द्वारा यह सूचित किया कि दिनांक - 08.12.2020 को उनकी योगदान प्रक्रिया के दौरान श्री शैलेश कुमार को अपने पूर्व के नियोक्ता के साथ किसी भी तरह का पत्राचार उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया पर वो उसमे असफल रहे। इसके अलावा श्री शैलेश कुमार द्वारा जीविका को उपलब्ध कराये गए MBIT से सम्बंधित नियुक्ति पत्र (02.11.2010), विरमन पत्र (31.03.2016), सैलरी स्लिप (January, February, March 2016) जो कि उन्होंने प्रथम दौर की योगदान प्रक्रिया के बाद उपलब्ध कराया, पर उनका पदनाम Assistant Manager Operations है परन्तु उनके अनुभव प्रमाण पत्र (12.03.2014) में उनका पदनाम Operations Manager है जो कि ये साबित करता है कि तथ्यों से छेड़छाड़ की गयी है । समिति कि रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में श्री चन्दन कुमार ने Innotech Aqua के चिफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं परन्तु उन्होंने अपने पत्र दिनांक 19.07.2021 के द्वारा MBIT के रीजनल ऑपरेशन मेनेजर के रूप में श्री शैलेश कुमार के अनुभव

प्रमाण पत्र को सत्यापित किया है जो कि संदेहास्पद है । राज्य स्तरीय समिति के द्वारा यह भी बताया गया है कि किस अधिकार से श्री चन्दन कुमार ने श्री शैलेश कुमार के अनुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित किया है इसका न कोई साक्ष्य मौजूद है और न ही श्री चन्दन कुमार ने ऐसा कोई दावा किया है | समिति ने श्री चन्दन कुमार के Innotech Aqua सम्बन्धी उनका पहचान पत्र भी रिपोर्ट के साथ संलग्नित किया है जिसके अनुसार श्री चन्दन कुमार Innotech Aqua के चिफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं |

निष्कर्ष

अत: उक्त तथ्यों, साक्ष्य एवं राज्य स्तरीय समिति के प्रतिवेदन के विशलेषण पर पाया गया कि

1- श्री शैलेश कुमार द्वारा जीविका में उपलब्ध करवाए गए मायाराम सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अनुभव पत्र पर अंकित पता एवं उनके द्वारा ही बताये गए वेबसाइट पर उक्त सोसाइटी के वर्णित पते से भिन्न है|

2- MBIT के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र पर उनका पदनाम एवं उसी संस्था से निर्गत सैलरी स्लिप, विरमन पत्र पर अंकित पदनाम भिन्न है |

3- श्री शैलेश कुमार मायाराम सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी एवं MBIT में अपने कार्यकाल के दौरान संस्था के साथ उनके द्वारा किया गया किसी भी तरह के पत्राचार उपलब्ध कराने में असफल रहे |

इस प्रकार श्री शैलेश कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबन्धक का यह कृत्य एच आर डी मैन्युअल के Para-(b) 18 of Annexure 6 के अन्तर्गत Grave Misconduct की श्रेणी में आता है|

तदनुसार, श्री शैलेश कुमार, प्रखंड परियोजना प्रबन्धक को तत्काल प्रभाव से जीविका की सेवा से बर्खास्त किया जाता है और उनके द्वारा जीविका में पदधारण के दौरान जो भी लाभ लिया गया है उसकी वसूली का आदेश जारी किया जाता है |

31.9.22

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

श्री शैलेश कुमार
प्रखंड परियोजना प्रबंधक – बगहा 2
पश्चिमी चंपारण

प्रतिलिपि

1. निदेशक / प्रभारी प्रसाशी पदाधिकारी / सी०एफ०ओ / पी०एस०
2. सभी परियोजना समन्वयक
3. सभी राज्य परियोजना प्रबंधक / परियोजना प्रबंधक/ राज्य वित्त प्रबंधक / सहायक वित्त प्रबंधक
4. सभी जिला परियोजना प्रबंधक / प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक
5. सभी एच आर मैनेजर / प्रभारी एच आर मैनेजर
6. सम्बंधित संचिकायें